



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी.-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010
दूरभाष नं0-0612-2261250/2266265, फ़ैक्स-0612-2261050 ई-मेल-msbspcb-bih@gov.in वेबसाईट- http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांक :-

निबंधित

पटना, दिनांक :-

प्रेषक,

एस0 एन0 झा,
क्षेत्रीय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर,
पटना-800023.

विषय: मेसर्स विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, पिता-श्री जलेश्वर त्रिपाठी, बैरिया, पुलिस लेन, सरस्वती नगर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा बूढ़ी गंडक नदी स्थित इकाई संख्या-01 (मोरसंडी घाट-01) बालू घाट, (कुल क्षेत्रफल-5.25 हेक्टेयर) मौजा-मोरसंडी, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते लोक-सुनवाई का वृत्त।

महाशय,

उपरोक्त विषयक मेसर्स विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, पिता-श्री जलेश्वर त्रिपाठी, बैरिया, पुलिस लेन, सरस्वती नगर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा बूढ़ी गंडक नदी स्थित इकाई संख्या-01 (मोरसंडी घाट-01) बालू घाट, (कुल क्षेत्रफल-5.25 हेक्टेयर) मौजा-मोरसंडी, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते लोक-सुनवाई दिनांक 24.06.2026 को अंचल कार्यालय, मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर में की गयी है।

लोक-सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0डी0 आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 एन0 झा)

क्षेत्रीय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 778

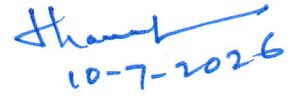
पटना, दिनांक:- 10.7.26

प्रतिलिपि:-1) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2) मेसर्स विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, पिता-श्री जलेश्वर त्रिपाठी, बैरिया, पुलिस लेन, सरस्वती नगर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3) श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि० रा० प्र० नि० पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं पर्षद् के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।


10-7-2026

(एस० एन० झा)

क्षेत्रीय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, पिता-श्री जलेश्वर त्रिपाठी, बैरिया, पुलिस लेन, सरस्वती नगर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा बूढ़ी गंडक नदी स्थित इकाई संख्या-01 (मोरसंडी घाट-01) बालू घाट, (कुल क्षेत्रफल-5.25 हेक्टेयर) मौजा-मोरसंडी, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 24.06.2026 को अपराह्न 02:00 बजे, अंचल कार्यालय, मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2932/2025, दिनांक 22.10.2025 के आलोक में श्री धनंजय कुमार, अपर समाहर्ता-सह- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में की गयी।
उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "हिन्दुस्तान" एवं "दैनिक भास्कर" के माध्यम से दिनांक 16.05.2026 को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा मोरसंडी-01 बालू घाट, मौजा-मोरसंडी, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री विश्वनाथ त्रिपाठी को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या- 01 में प्रतिवर्ष 45,675 टन बालू का खनन

प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹53.58 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 01 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही परिवहन किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र

8/

2/

कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

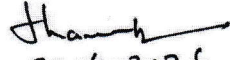
परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं—

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री दिलीप कुमार, काँटी, मुजफ्फरपुर के द्वारा परियोजना के दौरान वृक्षारोपण की संख्या के बारे में पुछा गया।	परियोजना के दौरान पहुँच पथ, सड़क के किनारे एवं उपलब्ध सार्वजनिक स्थानों पर 60 की संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा।
2.	श्री रोमी रंजन कुमार, मोरसंडी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर के द्वारा गाड़ियों के परिवहन से धूल उड़ने से रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय के संबंध में पुछा गया।	आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में तीन या चार बार जल-छिड़काव किया जायेगा। बालू का ढुलाई के दौरान वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही कार्य स्थल पर धूलकण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा।
3.	श्री रंजीत कुमार, मोतीपुर के द्वारा परियोजना के दौरान गाड़ियों के परिवहन से रोड टूटने की समस्या के निराकरण हेतु किए जाने वाले उपाय के बारे में पुछा गया।	संवेदक के द्वारा पहुँच पथ को नियमित रूप से मरम्मत किया जायेगा।

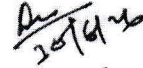
लोक-सुनवाई के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि आमजनों/स्थानीय निवासियों के द्वारा जो समस्याएँ उठाई गयीं हैं, इन समस्याओं का निदान खनन विभाग के नियम व प्रावधान में ही निहित है। संवेदक को निदेश दिया गया कि खनन विभागीय प्रावधान के निमित

व सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खनन कार्य करेंगे। सुनवाई में उपस्थित संवेदक श्री विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा सभी शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


30-6-2026

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
मुजफ्फरपुर

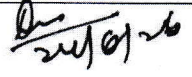
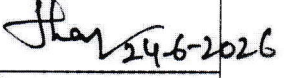
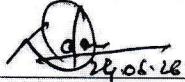
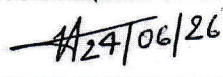
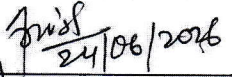
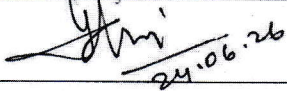
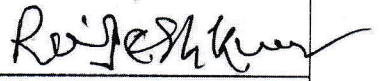
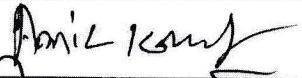
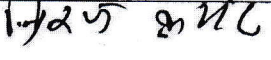
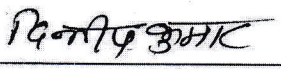
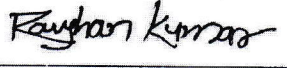
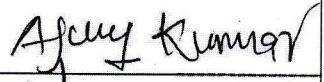
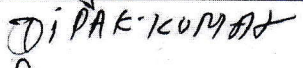
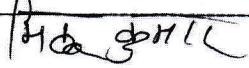

30/6/26

अपर समाहर्ता-सह-
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स विश्वनाथ त्रिपाठी, पिता-श्री जलेश्वर त्रिपाठी, बैरिया, पुलिस लेन, सरस्वती नगर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा बूढ़ी गंडक नदी स्थित इकाई संख्या-01 (मोरसंडी घाट-01) बालू घाट, (कुल क्षेत्रफल-5.25 हेक्टेयर) मौजा-मोरसंडी, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर में बालू उत्खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, दिनांक 24.06.2026 समय-02:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चनंजय कुमार	ADM, PGRO	
2.	Shambhu Nath Jk	R.O, Muzaffar Bihar State Pollution Control Board	 24-6-2026
3.	Md. Danish Alam	Mining Office, Muz.	 24.06.26
4.	Hariom Jha	Mines Inspector, Muz.	 24/06/26
5.	Amish Kumar	BSPCB, Patna.	 24/06/2026
6.	Praveen Kumar Ray	Env. Consultant	 24.06.26
7.	राजेश कुमार	कुलार	
8.	अनिल कुमार	कुलार	
9.	निरंज कुमार	कुलार	
10.	दिनीप कुमार	कुलार	
11.	रोशन कुमार	महमकपुर बलमी	
12.	अजय कुमार	अंजनाकौर	
13.	अनिल कुमार	अंजनाकौर	
14.	दीपक कुमार	कुलार	
15.	मिकु कुमार	मोतीपुर	

16	रंजीत कुमार	मोरीपुर	Ranjit Kumar
17	अशोक कुमार	कोरसंडी	ashok
18	अशोक	॥	अशोक
19	इश्वर चंद्र राय	मोरीपुर	इश्वर
20	अशोक कुमार	॥ ॥	अशोक कुमार
21	Ranjit Kumar	Murbandi	Ranjit Kumar
22	Ankur Singh	Mohi pur	Ankur Singh
23	मनोज कुमार	मोरीपुर	मनोज कुमार
24	Kalush Kumar	कोरसंडी	Kalusha Pargamhar
25	अशोक राय	मोरीपुर	अशोक राय
26	Amit Kumar	मोरीपुर	Amit Kumar
27	Harsh Kumar	मोरीपुर	Harsh Kumar.
28	दिनेश कुमार	कोरसंडी	दिनेश
29	पुष्पाजी माझ	मोरीपुर	Prithvi
30	अशोक राय	मोरीपुर	अशोक राय
31	रंजीत कुमार	मोरीपुर	रंजीत कुमार
32	विजय कुमार	मोरीपुर	विजय कुमार
33	अमित कुमार	मोरीपुर	अमित कुमार
34	राजू शर्मा	मोरीपुर	राजू शर्मा
35			
36			